भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या999

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

नैटग्रिड की प्रयोक्या एजेंसियां

999. श्री माजीद मेमनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आतंकी गतिविधियों का पता लगाने हेतु माऊस की एक क्लिक पर सभी नागरिकों के पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, टेलिफोन रिकार्ड, क्रेडिट कार्ड ब्यौरे, बैंक रिकॉर्ड आदि ब्यौरों की वास्तविक (रियल टाइम) जानकारी प्राप्त करने की योजना है;

(ख) क्या सरकार ने कार्यकुशलता और प्रभावी समन्वयन हेतु एक नैशनल इंटलिजेन्स ग्रिड (नैटग्रिड) का गठन किया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कुछ अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के साथ नैटग्रिड के डाटाबेस की 'प्रयोक्ता एजेंसियों' के रुप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) अन्य केन्द्रीय एजेंसियों के नाम के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): सरकार ने देश की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ दूर-संचार, बैंक, एयरलाइंस आदि जैसे 21 डाटा संसाधनों को जोड़कर आसूचना जानकारी के मिलान हेतु मौजूदा हस्त-चालित प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाए जाने संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी साधन के रुप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) की स्थापना की है। तथापि, नैटग्रिड को आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने के लिए माऊस की क्लिक से सभी नागरिकों के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलिफोन रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक रिकॉर्ड संबंधी ब्यौरों की वास्तविक (रीयल टाइम) जानकारी रखने का अधिदेश नहीं है।

(ख): जी, हां।

(ग): इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ): कोई भी राज्य एजेंसी नेटग्रिड की 'यूजर एजेंसी' नहीं है। सुरक्षा संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सी.सी.एस.) अधिदेश के अनुसार, आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (आर. एंड ए. डब्ल्यू.), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.), राजस्व आसूचना ब्यूरो निदेशालय (डी.आर.आई.), प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.), वित्तीय आसूचना इकाई (एफ.आई.यू.), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.), केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.), केन्द्रीय उत्पादन और आसूचना महानिदेशालय (डी.जी.सी.ई.आई.) और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन.सी.बी.) नेटग्रिड की 'यूजर एजेंसियां' हैं।